तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील सं 13/2021	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। दीगर कार्य / चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण निर्णय नही लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 1-12-2023 को पेश हो।	
1-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस बताया था कि पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि अपीलान्ट का संवत 2075 से ख० न० 2301/1 रकबा 7.05 है० किस्म चारागाह भूमि में से 0.07 एवं ख० न० रकबा 0.61 है० किस्म सिवायचक भूमि में से 0.30 है० भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण कर रखा बताया है। जो गलत है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर पटवारी के हस्ताक्षर कि जगह सीताराम व दिनांक की जगह 2014 लिखा है जो स्पष्ट नही है। गिरदावर ह० का नाम भी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित नही है। इस रिपोर्ट के 4 साल बाद बिना कोई कारण वर्ष 2018 में अपीलान्ट के खिलाफ 91(6) एल आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। एवं दिनांक 23-5-2018 को अपीलान्ट कि तलबी व जवाब हेतु नियत की गई। अधिनस्थ न्याया० द्वारा धारा 91(6) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट किया जाना मानते हुए दिनांक 19-9-2019 को आदेश पारित किया है जो नियम विरुद्ध किया गया है। इस कारण आदेश निरस्त होने योग्य है। प्रकरण 91(6) की परिधि में नही आने के बावजूद अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91(6) के तहत आदेश पारित किया है जो न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत किया है। अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर भी नही दिया गया [illegible] कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। अपीलान्ट [illegible] के समय से काबिज चला आ रहा [illegible] अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि के सम्बध में उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर	

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	मे वाद /प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है। अपीलान्ट द्वारा कमियान में उपस्थित होकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने अपीलान्ट को कहा कि यहाँ राजीनामा से सम्बंधित प्रकरणो का निस्तारण होता है। आपको अलग से नोटिस जारी कर कार्यवाही कि जावेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 19-9-2019 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील के साथ मियाद बाबत धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जावे एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे। वकील अपीलान्ट कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अपील में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा भूमि ख० नं० 2301, किस्म चारागाह पर 0.07 है व ख० नं० 2312 किस्म सिवायचक में रकबा 0.30 है पर तारबंदी कर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है। पटवारी हल्का के हस्ताक्षर की जगह केवल सीताराम नाम व दिनांक कि जगह 2014 अंकित है एवं गिरदावर [illegible] है। जो हल्का के भी हस्ताक्षर [illegible] पटवारी ह० सन्देह की स्थिति प्रतीत [illegible] बनाया द्वारा रिपोर्ट के [illegible] जाता है जो नहीं [illegible] है। एवं ना ही पत्रावली पर उपलब्ध है। न ही माप जोख का अंकन है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पश्चात अपीलान्ट को तलब करने हेतु जो नोटिस जारी किया गया जो रा० भू०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 91 (6) के तहत नोटिस जारी किया गया है। यह तथ्य तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड कार्यालय श्रीमाधोपुर में वाद / प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जिसकी प्रति पत्रावली में शामिल है। पत्रावली में शामिल रिपोर्ट दिनांक 14-11-2019 मे अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा भूमि ख० न० 2301/1 किस्म चारागाह से अतिक्रमण हटा लिया है जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अंकित किया है। ख० न० 2312 पर नियमन कमेटी ने दिनांक 29-6-99 को नियमन किया गया है। जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा चुका है जिस बाबत अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय में गिरफ्तारी पत्र जारी करने हेतु अंकन दर्ज है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को तलब करने हेतु जो नोटिस जारी किया गया जो धारा 91 (6) के तहत जारी किया गया है। परन्तु न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित दिनांक 19-9-2019 को किया गया है जो नोटिस जारी किया जिसके अनुसार निर्णय पारित नही किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है जिसके अवलोकन से पाया गया है कि निर्णय किस सैक्शन व किस धारा के तहत पारित किया गया है यह स्पष्ट प्रतीत नही होता है इस प्रकार जो प्रथम में नोटिस जारी किया गया एवं पत्रावली मे अन्तिम निर्णय पारित किया गया जो दोनो विरोधाभाषी है। जिस धारा के तहत नोटिस जारी किया गया था	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	अन्तिम निर्णय पारित किया गया जो दोनो ही अलग-अलग प्रतीत होते हैं। पत्रावली में नोटिस जारी कर दिनांक 19-9-2019 को अन्तिम निर्णय पारित किया गया वो समस्त प्रक्रिया एक रुपता के तहत कार्यवाही नही कि गई है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 19/9/19 को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मु० न० 97/2018 उनवानी सरकार बनाम भैरुसिंह में दिनांक 19-9-19 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि मौके पर सही नाप जोख की जाकर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर पत्रावली मे पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय कि पालना हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय कि प्रति तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

(… कुमार)
… कलक्टर
… मजिस्ट्रेट

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested